दिनांक 06.02.2018 को रा.ज.वि.अ, पालिका भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष में आयोजित "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की पांचवीं बैठक का कार्यवृत्त।

"नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की पांचवीं बैठक भारत सरकार के पूर्व सचिव और समूह के अध्यक्ष डॉ प्रोदीप्तो घोष की अध्यक्षता में 06.02.2018 (मंगलवार) को सुबह 11:30 बजे रा.ज.वि.अ के समिति कक्ष, तीसरी मंजिल, पालिका भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

प्रारंभ में, अध्यक्ष ने सभी सदस्यों, आमंत्रित सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने उल्लेख किया कि समूह का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है और रा.ज.वि.अ ने पहले ही समूह के कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव पर कार्रवाई कर दी है। इसलिए हम कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं ताकि समूह को सौंपा गया कार्य अगले छह महीनों के समय में पूरा हो जाए। उन्होंने एक बार फिर नीति आयोग के सदस्यों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की और नीति आयोग के अध्यक्ष से नीति आयोग को दिए गए अर्ध-शासकीय पत्र के बारे में पूछा कि यदि श्री धीरज नैय्यर अन्यथा प्रतिबद्ध थे, तो उन्होंने समूह के सदस्य सचिव से एक-एक करके एजेंडा मदों को चर्चा के लिए उठाने का अनुरोध किया।

मद संख्या 5.1 दिनांक 09.01.2018 को आयोजित वित्तीय पहलू पर समूह की चौथी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

नई दिल्ली में 09.01.2018 को नदियों को जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह की चौथी बैठक के कार्यवृत्त को रा.ज.वि.अ के 19 जनवरी, 2018 के पत्र के माध्यम से सदस्यों / विशेष आमंत्रितों के बीच परिचालित किया गया था। चूंकि किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए 09.01.2018 को आयोजित चौथी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई थी।

मद संख्या 5.2.1 वित्तीय संसाधनों के प्रक्षेपण पर नीति आयोग द्वारा प्रस्तुति:

इस मद को एक बार फिर अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि नीति आयोग के प्रतिनिधि किसी अन्य पूर्व-व्यवसाय के कारण बैठक में भाग लेने के लिए नहीं आ सके। अध्यक्ष ने बताया कि ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सरकारी वित्त पोषण की सीमा के साथ-साथ वित्त समूह के कार्य पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न नीतिगत निर्णयों के बारे में जानने के लिए नीति आयोग की प्रस्तुति बहुत आवश्यक है।

मद संख्या 5.2.2 भारतीय बैंकों/वित्तीय संस्थानों से आईएलआर कार्यक्रम के लिए निधियों के संभावित प्रवाह के अनुमानों पर यस बैंक द्वारा प्रस्तुतीकरण:

यस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री भूपेश राठौर सहित यस बैंक की एक टीम ने एक प्रस्तुति दी। यस बैंक द्वारा तैयार की गई आईएलआर जैसी परियोजनाओं के लिए आईएफआई के पास उपलब्ध वित्त को पेश करने वाला एक वित्तीय मॉडल प्रस्तुत किया गया था।

प्रस्तुतिकरण के दौरान यह बताया गया कि जल संसाधन क्षेत्र में राजस्व के सृजन में आमतौर पर लंबी अवधि लगती है, इसलिए यह सवाल कि भुगतान की गारंटी कौन देगा, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है । चर्चा के दौरान यह बताया गया कि एनएचएआई, विमानपत्तन प्राधिकरण और रेलवे क्षेत्र आदि को वित्तपोषण के लिए किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि वे राजस्व सृजित करने वाले विभाग हैं और केन्द्र सरकार द्वारा अंतर्निहित भुगतान गारंटी प्रदान की जा रही है ।

प्रस्तुति में की गई प्रत्येक धारणा पर समूह द्वारा विचार-विमर्श किया गया था, और एक आम सहमति पर पहुंचा गया था कि समग्र दृष्टिकोण उपयुक्त था, अनुमानों को 2015-16 के स्थिर मूल्यों पर फिर से तैयार किया जा सकता है यानी मुद्रास्फीति से छुटकारा पाने के द्वारा। यह भी सुझाव दिया गया था कि हम वर्तमान मामले के लिए इस मुद्दे पर विचार कर सकते हैं कि आईएलआर परियोजना के लिए वित्त पोषण का प्रारंभिक स्तर क्या हो सकता है, जिस पर वित्त पोषण में वार्षिक वृद्धि होगी, और उचित समय पर उसी पर पुनर्विचार करें।

इसके अलावा, अध्यक्ष ने निष्कर्ष निकाला कि संशोधित वित्तीय मॉडल को अगली बैठक में पेश किया जाना चाहिए, जिसमें सरकारी गारंटी के साथ/बिना विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों को ऋण देने की प्रवृत्ति भी शामिल है।

मद संख्या 5.2.3 महानदी-गोदावरी लिंक का लागत विश्लेषण और संपूर्ण आईएलआर परियोजना की लागत पर इसके प्रभाव (रा.ज.वि.अ द्वारा प्रस्तुति):

विशेष आमंत्रित सदस्य और रा.ज.वि.अ के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार श्री एमके सिन्हा ने पिछली बैठक में दिए गए सुझावों के आधार पर महानदी-गोदावरी (एमजी) लिंक की लागत विश्लेषण और आईएलआर परियोजनाओं की विस्तारित लागत पर एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। उनकी प्रस्तुति की प्रति अनुलग्नक-5.5.1 के रूप में संलग्न है। समूह द्वारा यह नोट किया गया था कि आईएलआर परियोजनाओं की कुल लागत पिछले अनुमानों से कम हो गई है क्योंकि लिंक-वार सिंचाई और विद्युत लाभों का योग एनपीपी (राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना) के अंतर्गत अनुमानित लाभों से कम है। डॉ दास गुप्ता ने यह जानना चाहा कि क्या आईएलआर परियोजनाओं के मामले में सिंचाई विकास की इकाई लागत की जांच सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के सिंचाई विकास की इकाई लागत से की गई है जिसका महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में अच्छे तरीके से पालन किया जा रहा है। श्री ए.बी.पांड्या, पूर्व अध्यक्ष, केंदीय जल आयोग ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को वहां उपलब्ध पानी की ज्ञात मात्रा के लिए वितरण / लघु स्तर पर विकसित किया जाता है। वैकल्पिक रूप से, उपलब्ध भूजल के लिए इसकी योजना बनाई गई है। दोनों ही मामलों में उपलब्ध जल की मात्रा आईएलआर परियोजनाओं की तुलना में काफी कम है, जिन्होंने भारी मात्रा में जल के पथांतरण की योजना बनाई है। वर्तमान में राज्य वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के विकास के बाद बेसिन के भीतर उपलब्ध अवशिष्ट जल के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की योजना बना रहे हैं। अब कई राज्य सिंचाई विकास के संबंध में संतृप्ति चरण में पहुंच गए थे और आगे का विकास तभी संभव है जब अन्य राज्यों/बेसिन से पानी

लाया जाए। आईएलआर परियोजनाएं ठीक इसी के लिए हैं और बांधों/बैराजों और लंबी नहर नेटवर्क के निर्माण के कारण इसकी भारी लागत की आवश्कता होगी। इसलिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की लागत के साथ इसकी तुलना या जांच किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी।

समूह के अध्यक्ष ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें "जलवायु परिवर्तन" पर अध्याय में, एक महत्वपूर्ण अनुमान यह है कि अगले दो से तीन दशकों में खाद्यान्न उत्पादन में 25% की गिरावट हो सकती है। ऐसी स्थिति में आईएलआर परियोजनाओं को सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजना के रूप में घोषित करने पर विचार किया जा सकता है जो आईएलआर को अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण के प्रवाह को आसान बनाने में मदद कर सकता है। चर्चा के बाद, **2015-16 के मूल्य स्तर पर आईएलआर परियोजनाओं की कुल लागत 8.68 लाख करोड़ रुपये तय की गई।** अध्यक्ष ने बताया कि वित्तपोषण की आगे की योजना इस लागत और अनुमानित वितीय प्रवाह के आधार पर तैयार की गई आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अवधि पर आधारित होगी।

अध्यक्ष ने श्री एमके सिन्हा को कृष्णा जल विवाद अधिकरण में उनके नए कार्यभार में शामिल होने पर बधाई दी और समूह के लिए आईएलआर की लागत का अनुमान लगाने के लिए समय बिताने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जल क्षेत्र, विशेषकर आईएलआर में उनके व्यापक अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने श्री सिन्हा से अनुरोध किया कि वे रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने तक इस समूह से जुड़े रहें।

अध्यक्ष ने कहा कि आईएलआर की लागत आकलन का विषय कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि रा.ज.वि.अ लगभग 1000-1500 शब्दों में विषय पर एक लेखन तैयार कर सकता है जिसे समूह की मुख्य रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता है।

मद संख्या 5.3.1 और 5.3.2 समूह के कार्य की प्रगति की समीक्षा और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना ।

अध्यक्ष महोदय ने इस कार्यसूची मद पर एक प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति की प्रति अनुलग्नक-5.5.2 के रूप में संलग्न है। अपनी प्रस्तुति के दौरान, उन्होंने संदर्भ की शर्तों के संदर्भ में समूह द्वारा उठाए जाने वाले कार्यों के विभिन्न विषयों को विस्तार से बताया। उन्होंने एंकरों (एजेंसियों) को भी सुझाव दिया जो मुख्य रूप से विभिन्न विषयों के लिए काम कर रहे हैं/ करेंगे। एंकरों के बीच, उन्होंने मानव संसाधन की भूमिका पर जोर दिया। चर्चा के दौरान निम्नलिखित नामों की पहचान विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां देने के लिए अतिरिक्त संसाधन व्यक्तियों के रूप में की गई थी जैसे अवसंरचना के लिए पीपीपी मॉडल के साथ अनुभव, उचित परिश्रम आवश्यकताएं और बहुपक्षीय वितीय संस्थानों (जैसे विश्व बैंक, एडीबी, ब्रिक्स बैंक, आदि) के परियोजना चक्र आदि। ये हैं (i) प्रो प्रदीप सिंह (ii) श्री विनायक चटर्जी (iii) डा वनिका तुलसीधर। (i) और (ii) के लिए राजविअ यस बैंक के माध्यम से संपर्क कर सकता है और (iii) के लिए राजविअ श्री सतीश राव, (सेवानिवृत्त महानिदेशक एशियाई विकास बैंक) के माध्यम से संपर्क कर सकता है।

मद संख्या 5.6 अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मामला(ओं) :

(i) निदेशक (तक), रा.ज.वि.अ ने सूचित किया कि समूह के कार्यकाल को और छह महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के साथ-साथ कार्रवाई की गई है और दिनांक 29.01.2018 को आईएलआर पर कार्यबल के अध्यक्ष को भेज दिया गया है। अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद औपचारिक प्रस्ताव जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण को भेजा जाएगा।

(ii) सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि अगली बैठक अर्थात् वित्तीय पहलुओं पर समूह की 6वीं बैठक 27 फरवरी, 2018 को 11:30 बजे समिति कक्ष, रा.ज.वि.अ , तीसरी मंजिल, पालिका भवन, नई दिल्ली में बुलाई जाए। छठी बैठक की कार्यसूची में शामिल हैं: (i) पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि, (ii) 2050 तक आईएलआर के लिए राजकोषीय संसाधनों के अनुमानों पर नीति आयोग द्वारा प्रस्तुतीकरण, (iii) भारतीय वित्तीय संस्थानों से वित्तीय संसाधनों के प्रक्षेपण के लिए वित्तीय मॉडल पर यस बैंक द्वारा प्रस्तुतीकरण, और (iv) एमएफआई से वित्तपोषण की संभावनाओं पर प्रारंभिक चर्चा (श्री एच सतीश राव और डॉ दीपक दासगुप्ता के नेतृत्व में) द्विपक्षीय आदि; किसी भी अन्य मामलों के अलावा।

बैठक का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

अनुलग्नक-I

दिनांक 6 फरवरी, 2018 नई दिल्ली में को आयोजित "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की पांचवीं बैठक के सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और अन्य प्रतिभागियों की सूची।

1.	डॉ प्रोदिप्तो घोष, भारत सरकार के पूर्व सचिव और आईएलआर के लिए टास्क फोर्स के सदस्य और प्रतिष्ठित फेलो, टेरी, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री ए बी पांडया, पूर्व अध्यक्ष, केंदीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री एच सतीश राव, (सेवानिवृत्त) महानिदेशक, एडीबी, बंगलुरु	सदस्य
4.	श्री भूपेश राठौर, राष्ट्रपति, रणनीतिक सरकार सलाहकार, यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	श्री राणा कपूर, प्रबंध निदेशक और सीईओ, यस बैंक लिमिटेड, मुंबई का प्रतिनिधित्व करते हुए
5.	श्री मुजफ्फर अहमद, निदेशक (तकनीकी), राजविअ, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव
6.	श्री दीपक दास गुप्ता, पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित सदस्य
7.	श्री एमके सिन्हा मूल्यांकनकर्ता, कृष्णा जल विवाद अधिकरण और (सेवानिवृत्त) मुख्य अभियंता, केंदीय जल आयोग, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित सदस्य

8.	श्री आर पी एस वर्मा, निदेशक (एनपी) CWC, नई दिल्ली	मुख्य अभियंता (पीपीओ), केंदीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व करते हुए-विशेष आमंत्रित सदस्य
	अन्य अधिकारी	
9.	श्री अनिल कुमार जैन, उप निदेशक (एससीआईएलआर), राजविअ नई दिल्ली	
10	श्री आर. के. अग्रवाल, सलाहकार, राजविअ नई दिल्ली	
11.	श्री प्रणय रंजन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष -सीएफ़, यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	
12.	श्री सज़ा ओबेरॉय, उपाध्यक्ष-सीएफ़, यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	
13.	श्री वैभव जैन, वरिष्ठ प्रबंधक-रणनीतिक सरकार सलाहकार, यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	